न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 829 सन 2021

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
   असल प्रतिवादी
2. शान्ती पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रामेश्वरी देवी पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विधा पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. राममुर्ति पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. खेताराम पुत्र रूकमा पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. केसराराम पुत्र रूकमा पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. माया पुत्री रूकमा पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
11. धर्मपाल पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
12. रूकमणी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
13. रेणु पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
14. हरिसिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की यानी आराजी काश्तकार पूर्व की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

वाद भूमि प्री – 55 की भूमि नेतराम पुत्र किशनाराम को सम्वत 2012 से पूर्व की मानते हुए आवटन की गई थी जो साबिका खसरा न0 165 की 24 बीघा में थी साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन होकर नेतराम पुत्र किशनाराम के नाम आराजी काश्त पूर्व की दर्ज है।

नेतराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन थालडका का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसकी पत्नी तुलसी पत्नी नेतराम एवं पुत्र वादी प्रतिवादी संख्या 14 ,रामस्वरूप , पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं रूकमा हुए जिसमें से रामस्वरूप का देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 एवं पुत्री रूकमा के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है इसप्रकार नेतराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 है।

वाद भूमि पूर्व में नेतराम पुत्र किशनाराम के कब्जा काश्त में रही नेतराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में जिनके पास सीलिंग सीमा से कम भूमि है किसी प्रकार का विवाद नही है वाद भूमि प्री–55 की भूमि है जिसका

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पूर्व में किसी न्यायालय से निर्णय नही हुआ है ना ही वाद भूमि के पेटे किसी प्रकार की राशि जमा करवाई गई है।।

वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए (3)(2क) एव समय समय पर जारी परिपत्रों की पालना करते आ रहे है वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 14 वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व तरतीबी प्रतिवीदगण को बतोर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर जाकर रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि में वादी को 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 6/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 का 1/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 का 11/40 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार खातेदारी दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की प्रार्थी/वादी मोहनलाल पुत्र नेतराम जाति जाट साकिन थालडका ने रोही मोजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402 (18) के किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक व प0न0 216/403(19) के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 5.3130हैक भूमि के वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है

सम्वत 2012 से 2015 की जमाबंदी में नेतराम वल्द किशना जाति जाट साकिन थालडका के नाम रोही मौजा थालडका के साबिका खसरा न0 165 की कुल तदादी 21 बीघा सा0 देह का खुदकाश्त अंकित है।रोही मौजा थालडका के साबिका खसरा न0 165 की 21.00 बीघा के हाल रोही मोजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402 (18) के किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक व प0न0 216/403(19) के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 5.3130हैक में परिवर्तन हुए है जो उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी से साबित है।

उपनिवेषन विभाग द्वारा 22.07.1998 को एक पत्र कमांक प. 5 (34) उप 95 जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ गंगानगर व बीकानेर को लिखा गया है जिनका सार है कि उपनिवेषन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व के खातेदारो द्वारा विक्रय के अन्तरितियों को भी आर0टी0ए0 1955 की धारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने चाहिए। उप निवेषन क्षेत्र घोषित होने के पूर्व से खातेदारों के अन्तरितियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में उपनिवेषन अधि0 1954 की धारा 13 क (1) एवं 13 क (1 क) तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 कककक के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए में लिखा है कि :– खुदकाश्त का धारक या अधिभोगी अभिधारी या मॉरूरीदार या खातेदार या जिसे अन्तरणीय या उत्तराधिकार योग्य अधिकार प्राप्त थे। जिसका नाम तत्समय चालू वार्षिक रजिस्टरों में इस रूप में अभिलिखित था (15 एएए (1) क) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से इस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अधिनियम के अधीन के खातेदारी अभिधारी के समस्त अधिकारो का हकदार और समस्त दायित्वों का अध्यधीन होगा।

प्रश्नगत भूमि नेतराम पुत्र किशना जाति जाट को आराजी काश्त पर आवंटन थी व नेतराम पुत्र किशना के कब्जा काश्त में थी सूचि न0 4 तहसील हाजा में उपलब्ध नही है किन्तु प्रश्नगत भूमि लगातार सम्वत 2012 से पूर्व में नेतराम पुत्र किशना व वर्तमान में उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

नेतराम पुत्र किशना के जायज वारिसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए (3)(2क) व राजस्थान काश्तकारी द्वितीय संशोधन अधिनियम 1992 में राजस्थान सरकार के राजस्व (मूप– 6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 45(3)राज/प/आर. ओ/6/17 जयपुर दिनांक 28.12.1992 की शर्तो का पूर्णतया पालना करते है। उक्त नियमों के तहत नेतराम वल्द किशना के वारिसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए (3) (2क) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है ।

नेतराम पुत्र किशना का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण है जो प्रस्तुत मृत्यू एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है वादभूमि पूर्व में नेतराम पुत्र किशना के कब्जा काश्त में सम्वत 2012 से पूर्व की कब्जा काश्त की भूमि थी नेतराम पुत्र किशना के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सिलिंग सीमा अधिग्रहण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कुल रकबा सिलिंग सीमा से अधिक नही है उक्त भूमि के सम्बध में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नही है उक्त रकबा किसी सार्वजनिक कार्य हेतु प्रस्तावित नही है ना ही विशेष आवंटन की सूची में दर्ज है।

उक्त काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13,14,15,19 के अन्तर्गत खातेदार अभिधारी घोषित कर दिये गये थे जिन्हे बाद में उपनिवेषन विभाग द्वारा अराजी काश्तकार घोषित कर दिया गया था। जिन्हे सन् 1979 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 15 एएए जोड़कर पुनः खातेदारी अधिकारी दे दिये गये थे। यहां तक कि संवत् 2012 के अभिलिखित खातेदारों को पुनः खातेदार घोषित होने हेतु आवेदन की भी आवश्यकता नही थी। ऐसी स्थिति में जब किसी अधिनियम द्वारा किसी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हो और तत्समय यदि केवल अभिलिखित होने से ही शेष रहे हो। वर्तमान में केवल इस आधार पर ऐसे काश्तकारो को खातेदारी अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है आज तो केवल अभिलेखन किया जा रहा है।

अतः हमारी राय में नेतराम पुत्र किशना के वारिसान वादी एव तरतीवी प्रतिवादीगण को को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदार अभिलिखित किया जाना चाहिए वादी एव तरतीवी प्रतिवादीगण को रोही मोजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402 (18) के किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक व प0न0 216/403(19) के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 5.3130हैक के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए के प्रावधानो के अन्तर्गत निशुल्क खातेदारी अधिकारी दिये जा सकते है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने बहस में अपने बाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की यानी आराजी काश्तकार पूर्व की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

वाद भूमि प्री – 55 की भूमि नेतराम पुत्र किशनाराम को सम्वत 2012 से पूर्व की मानते हुए आवटन की गई थी जो साबिका खसरा न0 165 की 24 बीघा में थी साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन होकर नेतराम पुत्र किशनाराम के नाम आराजी काश्त पूर्व की दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

नेतराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन थालडका का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसकी पत्नी तुलसी पत्नी नेतराम एवं पुत्र वादी प्रतिवादी संख्या 14 ,रामस्वरूप , पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं रूकमा हुए जिसमें से रामस्वरूप का देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 एवं पुत्री रूकमा के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है इसप्रकार नेतराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 है।

वाद भूमि पूर्व में नेतराम पुत्र किशनाराम के कब्जा काश्त में रही नेतराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में जिनके पास सीलिंग सीमा से कम भूमि है किसी प्रकार का विवाद नही हजै वाद भूमि प्री–55 की भूमि है जिसका पूर्व में किसी न्यायालय से निर्णय नही हुआ है ना ही वाद भूमि के पेटे किसी प्रकार की राशि जमा करवाई गई है।।

वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एएए (3)(2क) एव समय समय पर जारी परिपत्रों की पालना करते आ रहे है वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 14 वाद भूमि के निशुल्क खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपने जवाब/रिपोर्ट में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवदन किया की राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार उनके पूर्वज नेतराम वल्द किशना के नाम दर्ज प्री–55 की भूमि के खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि नेतराम वल्द किशना के नाम सम्वत 2012 से पूर्व की यानी आराजी काश्तकार पूर्व की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जो प्रस्तुत उपनिवेशन विभाग की मिसल बन्दोबस्त से साबित है।

नेतराम पुत्र किशनाराम जाति जाट साकिन थालडका का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान उसकी पत्नी तुलसी पत्नी नेतराम एवं पुत्र वादी प्रतिवादी संख्या 14 ,रामस्वरूप , पुत्री प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एवं रूकमा हुए जिसमें से रामस्वरूप का देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 एवं पुत्री रूकमा के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है इसप्रकार नेतराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 14 है जो नेतराम वल्द किशना के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उक्त कथन प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिस प्रमाण पत्रो से साबित है एवं पेरोकार राज के द्वारा भी किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया है।

इसप्रकार सम्वत 2012 या उससे पूर्व मे दर्ज नेतराम वल्द किशना एवं वर्तमान में उसके वारिसान के सम्बध में तहसीलदार नोहर के द्वारा कोई आक्षेप नही किया गया है अर्थात प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र वारिस प्रमाण पत्र व वर्तमान में दर्ज वारिसान से सहमत है।

प्रार्थी/वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि होना अंकित नही किया गया है ना ही तहसीलदार नोहर के द्वारा इस सम्बध में कोई आक्षेप किया गया है प्रार्थी/वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के धारण सीलिंग सीमा से कम भूमि धारण में है।

प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि के सम्बध में कोई विवाद या स्थगन आदेश नही है ना ही किसी सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित /प्रस्तावित है प्रस्तावित भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित नही है ना ही प्रतिबन्धित श्रेणी की है प्रश्नगत भूमि नगर पालिका क्षेत्र की पेराफेरी में नही है प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भी काश्तकार उक्त अधिनियम लागू होने के दिनांक को जिस भूमि को काश्त करता है वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार है और उसे राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने की दिनांक को जो काश्तकार जिस भूमि का अभिधारी था को उस भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना था।

इसी प्रकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे काश्तकार जो सम्वत 2012 से पूर्व के काश्तकार है को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के सम्बध में जारी किये गये।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत या उसके पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में जारी करने के उपरान्त भी काश्तकारों को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में नही किया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 13 ,4 ,15 ,19 के अन्तर्गत खातेदार अभिधारी घोषित कर दिये गये थे जिन्हे मात्र राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज नही किया गया है को राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना न्यायोचित है यहाँ तक की सम्वत 2012 में अभिलिखित काश्तकार को पुन: खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी आवश्यकता नही है क्योकि ऐसे को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 लागू होते ही वह स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था मात्र राजस्व अभिलेख में दर्ज नही किया गया ऐसे काश्तकार को खातेदारी अधिकारों से वंचित रखा जाना उचित नही है तहसीलदार नोहर के द्वारा भी ऐसे काश्तकारो/वादी तरतीबी प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्सा के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की अभिशषा की गई है ।

अत: तहसीलदार नोहर की अभिशशां व प्रार्थी/वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के प्रावधानों /अधीन रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि में वादी को 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 6/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 का 1/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 का 11/40 हिस्सा भूमि को निःशुल्क खातेदारी अधिकार/ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. शान्ती पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. रामेश्वरी देवी पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विधा पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. कलावती पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. राममुर्ति पुत्री तुलसी पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. खेताराम पुत्र रूकमा पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. केसराराम पुत्र रूकमा पुत्री नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. माया पुत्री रूकमा पत्नी नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
11. धर्मपाल पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
12. रूकमणी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
13. रेणु पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
14. हरिसिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 829 सन 2021 निर्णय दिनांक– 24/01/2022–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के प्रावधानों /अधीन रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 133/106 के प0न0 216/402(18) किला न0 11 ,12 ,16 ता 25 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 216/403(19) किला न0 1 ता 5 प्रत्येक 0.2530हैक प0न0 224/406(46) के किला न0 22 ता 25 प्रत्येक 0.253हैक कुल 5.3130हैक भूमि में वादी को 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का 6/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 का 1/40 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 का 11/40 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 14 का 11/40 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner